उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-138/2019/2378/92-2-19-128जॉच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 17 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा द्वारा नगरपालिका परिषद डूडा में कराये गये निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जांच आख्या दि0 31-03-2018 एवं 30-05-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति एवं वित्तीय अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-91/2018/ 1819/92-2-18-128जांच/2016 दि0 16.07.2018 द्वारा श्री परवेज अली खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा सम्प्रति प्रखण्ड-एटा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-फैजाबाद के पत्र सं0-3762/ग्रा0अ0वि0/ अनु0कार्य0/स0अभि0/18-19 दि0 07-01-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर कार्यवार अधिरोपित सभी 26 आरोप, शासकीय क्षति जो सहिष्णुता सीमा (02 प्रतिशत) से कम होने व ठेकेदार द्वारा राजकोष में जमा कर दिये जाने के दृष्टिगत स्थापित होना नही बताया गया है, परन्तु सभी निर्माण कार्यो में शासकीय क्षति के परिलक्षित होने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा निर्माण कार्य के पर्यवेक्षणीय दायित्व में शिथिलता बरती गयी है। अतएव श्री परवेज अली खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा सम्प्रति प्रखण्ड-एटा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-07-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें भविष्य में कार्यो के प्रति और अधिक सजग रहकर कार्य करने के निर्देश के साथ कठोर चेतावनी देते हुये एतदद्वारा समाप्त करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-138/2019/2378/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !
2- श्री परवेज अली खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-गोण्डा सम्प्रति प्रखण्ड-एटा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in